

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/2022 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09.01.2025 एवं 15.01.2025 द्वारा किया जाकर यह निर्देशित किया गया था कि वे इस विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना में कर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। इस आदेश के अनुसार कई अधिकारियों द्वारा आदिनांक तक पालना नहीं की गई है, जबकि आदेश दिनांक 03.07.2002 में यह स्पष्ट निर्देश है कि स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश दिनांक 09.01.2025 एवं 15.01.2025 के संबंध में उनके द्वारा 7 दिवस में की गई पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को पेश करें तथा यदि उक्त आदेशों की पालना 7 दिवस में नहीं की गई हो तो इस बाबत अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा संबंधित कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज्ञा से

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
3. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 3 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN
<ankitraman.ar@gmail.com>

Digitally Signed by ANKIT
RAMAN
Designation: Joint Secretary
Date :29-01-2025 06:09:25